न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 16/2020

उनवान

मनोहरलाल पुत्र कन्हेयालाल जाति सिन्धी निवासी दूधिया मौहल्ला, नसीराबाद हाल निवासी 3/13 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, नसीराबाद, अजमेर।

—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव

बनाम

1. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार, नसीराबाद
   —— अप्रार्थी :— जरियें राज0 पैरोकार
2. अनिल कुमार पुत्र चन्द्र कुमार बाबानी
3. हरीश कुमार पुत्र चन्द्र कुमार
4. हरीश कुमार पुत्र कन्हैयालाल समस्त जाति सिन्धी निवासी दूधिया मौहल्ला, नसीराबाद
   —— प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :— 2 से4 अनुपस्थित

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 1.12.20

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नान्दला के हाल खाता संख्या 1194/255 खसरा नम्बर 1008, 1014, 1015 की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की खातेदारी की है उक्त आराजी पर प्रार्थी व अप्रार्थी काबिज काश्त चले आ रहे है। एवं राजस्व अभिलेख में भी उक्त आराजी प्राथीर्या की खातेदारी काश्तकारी में दर्ज है। प्रार्थी के खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख में कोई रास्ता विधमान नही है। प्रार्थी कृषि कार्य हेतु अपने खेतो पर आवागमन हेतु अपने खातेदारी खसरा नम्बर के उत्तरी दिशा में लगायत खसरा नम्बर 1006/4167 व 1007 में से आवागमन करते है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के खातेदारी खेतों पर आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता विधमान नही है। प्रार्थी अपने खातेदारी खेतों पर आवागमन हेतु सिवायचक खसरा नम्बर 1006/4167 व 1007 में से 30 फिट चौडा रास्ता चाहता है जिस हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

. अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आवेदन पत्र की चरण संख्या 1 में दर्शायी प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु ग्राम नान्दला के सिवायचक खसरा नम्बर 1006/4167 व 1007 में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाने की कृपा करावे। एवं उक्त रास्तें का राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करवाये जाने की कृपा करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर [illegible] को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 प्रकरण में [illegible] तहसीलदार नसीराबाद ने प्रकरण में मौका रिपोर्ट पेश की।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज0 पैरोकार के तर्को पर मनन किया। ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 1008 रकबा 0.45, 1014

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:36:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

रकबा 2.05 व 1015 रकबा 0.38 की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की खातेदारी की है। उक्त आराजी पर आवागमन हेतु प्रार्थी सिवायचक खसरा नम्बर 1006/4167 व 1007 में से 30 फिट चौडे रास्ते का अनुतोष प्राप्त करना चाहता है। तहसीलदार नसीराबाद की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1006/4167 में से रास्ते का अनुतोष चाहा गया है। चाहे गये मार्ग के लिये खसरा नम्बर 1006/4167 रकबा 0.10 में से 9.14 मीटर चौडा व 41.57 मीटर लम्बा कुल 380 वर्ग मीटर भूमि आवश्यक है। उक्त भूमि की डी0एल0सी0दर से राशि 25817/ होते है। वैकल्पिक रास्ते के रूप में लघुतम मार्ग खसरा नम्बर 1007 रकबा 0.07 में से कुल 210 वर्ग मीटर का रास्ता है लेकिन सडक से भूमि की गहराई अधिक है तथा सडक के दोनो तरफ पुलिया की रेलिंग लगी हुयी है। जिस कारण उक्त रास्ता उपयुक्त नही है।

ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 1008 रकबा 0.45, 1014 रकबा 2.05 व 1015 रकबा 0.38 की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की खातेदारी की है। उक्त आराजी पर आवागमन हेतु प्रार्थी सिवायचक खसरा नम्बर 1006/4167 व 1007 में से 30 फिट चौडे रास्ते का अनुतोष प्राप्त करना चाहता है। मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 1007 रकबा 0.07 में से कुल 210 वर्ग मीटर का रास्ता है लेकिन सडक से भूमि की गहराई अधिक है तथा सडक के दोनो तरफ पुलिया की रेलिंग लगी हुयी है। जिस कारण उक्त रास्ता उपयुक्त नही है। खसरा नम्बर 1006/4167 में से रास्ता उपयुक्त बताया गया है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होना व चाहे गये मार्ग की आत्यंतिक आवश्यकता भी सिद्व होती है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने की है। मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया के तथ्यों की ताईद होती है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 1006/4167 रकबा 0.10 में से 9.14 मीटर चौडा व 41.57 मीटर लम्बा कुल 380 वर्ग मीटर भूमि सिवायचक रास्ता दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते है। उक्त भूमि की डी. एल. सी. दर से 2 गुना राशि 51634/ अक्षरे इक्यावन हजार छः सौ चौतीस रूपये प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा करने के बाद तहसीलदार नसीराबाद उक्त रकबे को राजस्व अभिलेख में सिवायचक रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:36:50 IST
Reason: SelfAttested